

Andaman Express (Hindi)

17.12.2013

जारवा आरक्षित वन क्षेत्रों में अब भी घुसपैठ जारी है?

पोर्ट ब्लेयर, 17 दिसम्बर। मध्य अंडमान के वन मंडल द्वारा अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के सहयोग से गत 5 से 7 दिसम्बर तक मध्य अंडमान के जारवा आरक्षित वन क्षेत्र में संयुक्त गश्त चलाई गई। आरक्षित क्षेत्र में घुसपैठ गतिविधियों का पता लगाने के लिए चलाए गए संयुक्त गश्त की अगुवाई बकुलतला रेंज के रेंज अधिकारी श्री बासुदेव समंददार ने की। क्षेत्र के मंडल वन अधिकारी की अनुमति से गश्त में अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के कर्मचारियों की गश्त के दौरान कौशस्थानगर क्षेत्र से अनुसूची-1 प्रजाति से सम्बन्धित तीन वन्य जीव अपराधों का पता चला। दल ने तलाशी के दौरान जारवा आरक्षित वन क्षेत्र से प्लारिटर की रस्सियों से बनाए गए 193 फंदे जब्त किए। घुसपैठियों ने जारवा आरक्षित के भीतरी इलाकों के अलग-अलग जंगलों पर आल बिछाया था, जिनका मकसद वन्य जीवों का शिकार करना था। अभियान में किसी भी व्यक्ति अथवा दोषी का पता चल पाया है, लेकिन मामलों को दर्ज कर जांच की जा रही है।

मंडल वन अधिकारी श्री अमित आनंद ने बताया कि दोषियों को पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और यदि वे दबोचे जाते हैं, तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 के तहत दंड होगा, जिसमें जुर्माने के साथ 7 साल तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

C S

See TW

L.G. has seen

[Signature]
17/12/13